

<p>तारीख दुकम</p>	<p>दुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज</p>
	<p>8/6/2022</p> <p>पतावली आज पेथ डर।</p> <p>वादीगण अधिवक्ता दशरथलाल गेहलात मय वादीनी मजु मुल बाद मे उपर वादीगण अधिवक्ता ने मुल बाद मे उावती-पग पेथ कर पतावली कि नियत तिथी 11/2/22 से आज पतावली तलक की जाकल मुल बाद मे अवात करामा की प्रावी व अडावीगणो के मध्य पारामरिक्त समझौता हो चुका है। अतः बाद आगे नही चलाना चाहते है। साथ ही एक उावती-पग अन्तर्गत धारा आदेश 23 नियम 1, 3 व 4 संपादन धारा 151 C.P.C. का पेथ किया जाकल निवेदन किया है कि बाद मे नाबालिग सुरज, मुकेश पुतागण व श्रीलाल एवं मजु पत्नी एवं व श्रीलाल वादीगण सुरज व अन्य के मुदली बालिका माता व मजु के उाठपग अनुसार बाद शरु खरन 140 का अघा भाग लुम्बाराम द्वारा केता को बेचान इकरार किया गया है। लिखे वादीगण को उनके हिरसे की राशि का पैस दिया गया है। जो दो माह बाद बूगतान होगा। तथा उक्त बालीनामा मे सर्ब रज्बी गरी है। कि इकरार अनुसार सोदा बरह होने पर उक्त पैस वापरन लोरने की सर्ब रज्बी गरी है। अगल पक्षकारान की बीमत मे खोद जाने पर पैस की राशि का भुगतान नही होगा। सो वादीगण उक्त बाद पुन लाने का अधिका सुरक्षित रखने दुय विडोवल करना चाहते है।</p> <p>व्यापक्य द्वारा उावी अधिवक्ता को खुला गया उावी अधिवक्ता की इरु उमा अनुसार उावीगण के उावती-पग सन्तान आदेश 23 नियम 1, 3, व 4 संपादन धारा 151 C.P.C का स्वीकार मुल बाद मे किया है। अतः मुल बाद के साथ स्वीकार किया जाकल उावी अधिवक्ता को नया बाद लाने कि समुक्ति के साथ बाद विडोवल किमे जाने के आदेश उदात्त किया गया है। बाद उावीगण जरिये विडोवल स्वीकार किया गया है। निर्णय सरे उपलक्ष खुलाया गया। पतावली फेरल मुमा लोकर लम्बल से कम है।</p>

